LATEST NEWS

Election

Date : 02nd Nov. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पत्रिका

85 वर्ष से अधिक व दिव्यांग मतदाताओं से डाक मतपत्र से कराएंगे वोट

होम वोटिंग आज से, दल रवाना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव में 2 नवंबर से प्रारंभ होने वाली होम वोटिंग के लिए शनिवार को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया गया।

जिला परिषद के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम आदि को होम वोटिंग की प्रक्रिया को समझाते हुए स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया। होम वोटिंग के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 10 मतदान दलों का गठन किया गया है।

बारां. मतगणना स्थल का जायजा लेते अधिकारी। पत्रिका

मतगणना स्थल का लिया जायजा

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, अपर जिला कलक्टर जब्बर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी एवं रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

चुनाव के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण

विधानसभा उपचुनाव के स्वतंत्र व निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला परिषद सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनके क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना, कानून व्यवस्था पर निगरानी सहित उनके कर्तव्यों व दायित्वों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही सजग और सतर्क रहकर कर्तव्य पालना के निर्देश दिए गए।

ईवीएम को तैयार करने की दी जानकारी

विधानसभा उपचुनाव में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को तैयार करने के लिए शनिवार को मिनी सचिवालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम प्रकोष्ठ की सह प्रभारी पूनम पाटनी ने प्रशिक्षण में ईवीएम के रखरखाव व उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। ईवीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन रविवार को प्रातः 11 बजे किया जाएगा।

पत्रिका

मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना ही प्राथमिकता

छबड़ा @ पत्रिका. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। ईआरओ गुर्जर ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि छबड़ा विधानसभा में दो लाख 57 हजार मतदाता हैं। मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना हैं। इसी प्रक्रिया के तहत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओं द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। 9 दिसम्बर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाकर 31 जनवरी तक वेरिफेशन किया जाएगा। 7 फरवरी को फाईनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। ईआरओ के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हे भी 4 नवम्बर तक सक्रिय रहना होगा। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन, कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, ब्लॉक कांग्रेस प्रतिनिधि एडवोकेट राजेश भार्गव, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीपी गेरा, पूर्व महामंत्री हरिओम गौड़ आदि उपस्थित रहें।

02/11/2025 | Baran | Page : 4
Source :
https://epaper.patrika.com/

दैनिक भास्कर

बारां 02-11-2025

स्वीप कार्यक्रम • हाथ से हाथ मिलाएं, लोकतंत्र मजबूत बनाएं की थीम पर ब्लॉकों में हुए कार्यक्रम

स्वस्थ जनतंत्र की पहचान शत प्रतिशत हो मतदान बैंड वादन और मानव श्रृंखला से किया जागरूक

भास्कर न्यूज़ | बारां

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम के तहत हाथ से हाथ मिलाए लोकतंत्र मजबूत बनाएं की थीम पर अंता विधानसभा क्षेत्र में समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ। वहीं सीसवाली मुख्यालय पर कृषि मंडी परिसर में आयोजित समारोह में सीईओ एवं नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी ने सभी मतदाताओं से 11 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव लोकतंत्र के महापर्व में आवश्यक रूप से मतदान करते हुए अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। साथ ही उपस्थित जन को निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प कराया।

इस दौरान स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने ब्रास बैंड की मधुर स्वर लहरियों से कार्यक्रम में समा बांधकर आकर्षक तरीके से मतदाताओं को जागृत किया। वहीं विद्यार्थियों ने हाथों में मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें जैसे नारों का उद्घोष करते हुए कतारबद्ध होकर मानव श्रृंखला बनाई। आमजन को मतदान दिवस 11 नवंबर पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशंस से परिचित कराया। निर्वाचन संबंधी समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान एसडीओ सौरभ भाम्बू, विकास अधिकारी सुरेश गोदारा, ईओ नगर पालिका भावेश रजक, तहसीलदार बृजेश कुमार शिहरा, प्रधानाचार्य राजाराम मीणा, हंसराज मीणा, एईएन अक्षय गालव, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी स्वीप दल के सदस्य एवं नागरिक मौजूद रहे।

बारां. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला हुई

बारां| आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के तहत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली पूरी तरह त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें। ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान तिथियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

छबड़ा में बीएलओ, सुपरवाइजर को दिया प्रशिक्षण

पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छबड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) रामसिंह गुर्जर, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) छीपाबड़ौद अभिमन्यु सिंह कुंतल ने बीएलओ, सुपरवाइजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर डीएलएमटी, एएलएमटी सत्यनारायण शर्मा, पंकज गालव, अनुभा शर्मा, तरूण मित्तल द्वारा पीपीटी से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ द्वारा एसआईआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया एवं बीएलओ की समस्त समस्या, शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में एईआरओ (तहसीलदार) छीपाबड़ौद सुरेन्द्र गुर्जर, तहसीलदार छबड़ा यादवेंद्र यादव, सीबीईओ वीरेंद्र सिंह यादव, सीबीईओ दिनेश भार्गव, बीडीओ छबड़ा अभिषेक मीणा एवं समस्त निर्वाचन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया केंद्रों का जायजा

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसपी अभिषेक अंदासु, एडीएम जब्बर सिंह, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी एवं रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, स्ट्रांग रूम, मीडिया सेंटर, पार्किंग, बिजली एवं संचार व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना का कार्य सुगमता से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि मतगणना स्थल पर तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि मतगणना हॉल में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, मीडिया कवरेज की सुविधा और पर्यवेक्षकों के बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न हो सके।

दैनिक भास्कर

बारां 02-11-2025

होम वोटिंग आज से, मतदान दल रवाना

85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव में 2 नवंबर से प्रारंभ होने वाली होम वोटिंग के लिए शनिवार को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया। जिला परिषद के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम आदि को होम वोटिंग की प्रक्रिया को समझाते हुए स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया। होम वोटिंग के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 10 मतदान दलों का गठन किया है।

विधानसभा उपचुनाव के स्वतंत्र व निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला परिषद सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनके क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना, कानून व्यवस्था पर निगरानी सहित उनके कर्तव्यों व दायित्वों को लेकर जानकारी दी।

ईवीएम तैयार करने के लिए दिया प्रशिक्षण

विधानसभा उपचुनाव में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को तैयार करने के लिए शनिवार को मिनी सचिवालय स्थित अटल सेवा केंद्र में इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम प्रकोष्ठ की सह प्रभारी पूनम पाटनी ने प्रशिक्षण में ईवीएम के रखरखाव व उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। ईवीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन रविवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा।

दैनिक भास्कर

बारां 02-11-2025

ऑडियो संदेश ही प्रसारित कर सकेंगी टेलीकॉम कंपनियां

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के दौरान राजनैतिक विज्ञापन, रिकार्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग संबंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि उपचुनाव वाले क्षेत्र में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफार्म से कोई भी गैर-अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन, अपील अथवा बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें। यदि कोई चुनाव अभ्यर्थी या उसका एजेंट किसी टेली मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से गैर-प्रमाणित संदेश प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे (साइलेंस पीरियड) के दौरान मोबाइल फोन संदेश के माध्यम से किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील करना प्रतिबंधित है।

दैनिक भास्कर
बीकानेर 02-11-2025

एसआईआर: इलेक्टर मैपिंग में ढिलाई पर जिला निर्वाचन अधिकारी सख्त

बीकानेर| मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई बरते जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने गंभीरता से लिया। उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इलेक्टर मैपिंग से जुड़े कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दिए। इस दौरान मैपिंग से जुड़े कार्य में बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व एवं खाजूवाला के न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ मौजूद रहे। वहीं अन्य विधानसभा के बीएलओ वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े। जिला कलेक्टर ने एक-एक बीएलओ से फीडबैक लिया। उन्होंने सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी पूर्ण गंभीरता से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि किसी विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य में गति नहीं हुई तो संबंधित ईआरओ भी इसके लिए जिम्मेदार होगा।

32 बीएलओ चार्जशीट

बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने एसआईआर में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और उनकी संतानों की मैपिंग का कार्य आशा के अनुरूप नहीं करने पर न्यूनतम प्रगति वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्ज सीट जारी की है।

चार नवम्बर से सर्वे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जो कि सोमवार तक चलेगा। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा तथा आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

दैनिक भास्कर डीडवाना कुचामन भास्कर 02-11-2025

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाएंगे बीएलओ

भास्कर न्यूज | डीडवाना

डीडवाना जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने शुक्रवार को अपने कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश साझा किए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने, नई प्रविष्टियों को शामिल करने तथा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।उन्होंने ने जिले में मतदाताओं, एसआईआर कार्यक्रम, मतदान केन्द्रों, बीएलए नियुक्ति, प्रथम व द्वितीय अपील, ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना व आवश्यक दस्तावेज सहित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक इनुमेरेशन पीरियड रहेगा और 9 दिसंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे व आपत्तियां किए जा सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक नोटिस फेज चलेगा, जिसमें इनुमेरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में 03 फरवरी, 2026 तक मतदाता सूचियों की स्पष्टता की जांच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी और 07 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि डीडवाना-कुचामन जिले में वर्तमान में 13 लाख 63 हजार 684 मतदाता हैं।

दैनिक भास्कर डीडवाना कुचामन भास्कर 02-11-2025

हेल्प डेस्क का गठन होने पर कार्मिकों की लगाई ड्यूटी

भास्कर न्यूज | परबतसर

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डीडवाना-कुचामन के निर्देशानुसार नगरपालिका परबतसर में निर्वाचन कार्यों के सुचारू संचालन के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महेन्द्र खड़गावत के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आईटी संबंधित कार्यों का आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार समयबद्ध निष्पादन / संपादन एवं सुचारू संचालन व पर्यवेक्षण के लिए बूथ लेवल जिला स्तर तक अलग-अलग स्तरों पर हेल्प डेस्क का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुपालना में नगरपालिका परबतसर स्तर पर 4 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक हेल्प डेस्क का गठन कर कार्मिकों की ड्यूटी लगाई है। वरिष्ठ सहायक विशाल माथुर तथा कंप्यूटर ऑपरेटर मूलचंद प्रजापत को हेल्प डेस्क पर नियुक्त किया गया है। दोनों कर्मचारी चुनाव अवधि के दौरान अपने निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

दैनिक भास्कर
टोंक 02-11-2025

बूथ लेवल एजेंटों की शीघ्र नियुक्ति करें

मालपुरा|विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसमें 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर गणना प्रपत्र भरेंगे। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 31 जनवरी तक उनका निपटारा होगा। अंत में 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे प्रत्येक बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करें ताकि बूथ स्तर अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर सूचियों को सटीक बनाया जा सके।

इस अभियान का उद्देश्य सूची की पारदर्शिता, सटीकता और पात्र मतदाताओं को मतदान अधिकार सुनिश्चित करना है। मालपुरा में आयोजित बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कपिल शर्मा ने यह जानकारी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। सभी दलों को अधिक से अधिक प्रचार अभियान चलाकर योग्य मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित कराने तथा अवैध या मृतक मतदाताओं के नाम हटाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया। बैठक में भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में जोड़ा जाएगा ताकि वे आगामी चुनावों में मतदान कर सकें। बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी (तहसीलदार) पवन मातवा के अलावा भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष जिनेन्द्र मेन्दवास्या, गोगाराम जाट ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष, इशहाक नकवी शहर कांग्रेस अध्यक्ष, भाजपा महामंत्री सुनील सैनी, कन्हैयालाल शर्मा, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मुकेश माली, विनोद सैनी,पार्षद अब्दुल मजीद, भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष टोडारायसिंह नीरज जोशी, भाजपा मंडल टोडारायसिंह अध्यक्ष सुनील भारत, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, रामेश्वर प्रसाद कांग्रेस मंडल अध्यक्ष, निजामुद्धीन सिलार रविकुमार शर्मा मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर टोंक 02-11-2025

एसडीएम ने ली दलों की बैठक, एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा

उनियारा | विधानसभा क्षेत्र देवली-उनियारा की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम पूजा मीना ने एसडीएम कार्यालय में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 की तैयारियों पर चर्चा की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम पूजा मीना ने बताया कि राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाना है। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और तैयारी की जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर गणना करेंगे और फॉर्म भरेंगे। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन सामान्यतः कोई दस्तावेज नहीं लेंगे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम पूजा मीना ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करें। इससे मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

अनूपगढ़ में 26 नए मतदान केंद्र होंगे स्थापित
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर राजनीतिक दलों से सहमति

मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के बाद भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए प्रस्ताव; 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों के विभाजन की योजना

अनूपगढ़ ज्योति

अनुपगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और विधानसभा क्षेत्र अनुपगढ़ में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन/सुव्यवस्थीकरण को लेकर आज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

मुख्य निर्णय और प्रस्ताव : निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में (26) नए मतदान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनी। यह निर्णय मुख्यत: उन मतदान केंद्रों के विभाजन के लिए लिया गया, जहाँ मतदाताओं की संख्या (1200) से अधिक हो गई है।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अनुपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल (244) अधिसूचित मतदान केंद्र हैं। (1200) से अधिक मतदाताओं वाले (93) मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और विभाजन के बाद (09) पुनर्गठित और (26) नवसृजित मतदान केंद्र बनेंगे। इस प्रकार पुनर्गठन/सुव्यवस्थीकरण के पश्चात् कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर (270) हो जाएगी। इन नवसृजित (26) मतदान केंद्रों का निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन होना शेष है।

राजनीतिक दलों से विस्तृत चर्चा : बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन विभाग की दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की। सभी को सूचित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे और कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए।

आगामी कार्ययोजना : परिस गणना प्रपत्र: विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विभाग द्वारा 'परिस गणना प्रपत्र (ईएफ)' तैयार किए जा रहे हैं।

बीएलओ का कार्य: बीएलओ को (2002) की मतदाता सूची के अनुसार अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान और लिंक करने में सहयोग करना होगा।

फोटो मुद्रण: परिस गणना प्रपत्र में मतदाताओं की फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी, जिससे पात्र मतदाताओं का सिग्नेचर वैल्यू रंगीन फोटो चिपकाने से रोका जा सके। बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) दिव्या चावला के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एसआईआर : इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जताई सख्त नाराजगी

>> न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को करनी होगी नियमित समीक्षा

बुलंद राजस्थान

बीकानेर। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई बरते जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गंभीरता से लिया। उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इलेक्टर मैपिंग से जुड़े कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। मैपिंग से जुड़े कार्य में गति नहीं आने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उच्च स्तर पर इससे अवगत भी करवाया जाएगा। इस दौरान मैपिंग से जुड़े कार्य में बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व एवं खाजूवाला के न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ मौजूद रहे। वहीं अन्य विधानसभा के बीएलओ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। जिला कलेक्टर ने एक-एक बीएलओ से फीडबैक लिया। उन्होंने सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी पूर्ण गंभीरता से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि किसी विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य में गति नहीं हुई तो संबंधित ईआरओ भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। श्रीमती वृष्णि ने कहा कि जल्दी ही इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। इसके मद्देनजर आवश्यक सुधार के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्य क्रियान्वयन में किसी प्रकार की व्यवहारिक परेशानी आए तो बीएलओ तत्काल संबंधित ईआरओ, मास्टर ट्रेनर अथवा सुपरवाइजर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि 40 साल से कम आयु के मतदाताओं की मैपिंग के मामले में कोलायत सबसे फिसड्डी है। वहीं नोखा और खाजूवाला नीचे से क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। वहीं 40 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की मैपिंग में बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और खाजूवाला सबसे नीचे हैं। वहीं ओवरऑल मैपिंग में कोलायत, नोखा और बीकानेर पूर्व सबसे नीचे है। श्रीमती वृष्णि ने मैपिंग से जुड़ा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर श्रीडूंगरगढ़ और लूणकरणसर विधानसभा की तारीफ की और अन्य क्षेत्र के बीएलओ को इसी तर्ज पर काम करने के निर्देश दिए।

चार नवम्बर से होगा घर-घर सर्वे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जो कि सोमवार तक चलेगा। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा तथा आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। जिनकी सुनवाई और निस्तारण 31 जनवरी किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव, बीकानेर पूर्व की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना, पश्चिम के रमेश देव, सहायक जिला कलेक्टर रणजीत बिजारणियां, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ. वाइबी माथुर, डॉ. सुरेंद्र राठी, निर्वाचन शाखा के शिव कुमार पुरोहित सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।

बीकानेर पूर्व विधानसभा के 32 बीएलओ के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी : बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने एसआईआर में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और उनकी संतानों की मैपिंग का कार्य आशा के अनुरूप नहीं करने पर न्यूनतम प्रगति वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्ज सीट जारी की है।

दैनिक प्रात: कालीन
राजस्थान दर्शन
epaper.rajasthandarshanpatrika.com
02 Nov 2025 - Page 7

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ

जिले में अब तक 61.7 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है

राजस्थान दर्शन

सलूंबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीसी कक्ष आयोजित किया गया । इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अवधेश मीना ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http//voters.eci.gov.in पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान http//election.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना तथा अपात्र का नाम सूची से हटाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए जाएंगे तथा यह गणना फॉर्म भरकर मतदाताओं द्वारा बीएलओ को जमा करवाना अनिवार्य है। जो मतदाता गणना फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन में शामिल नहीं होगा, इसलिए गणना फॉर्म जमा करवाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नही है, लेकिन जिन मतदाताओं तथा उनके संबंधियों का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निधारित दस्तावेजों की सूची में से दस्तावेज बीएलओ को प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। सलूंबर जिले कुल मतदाता 300064 है एवं जिले में 185149 मतदाताओं को ऑनलाइन मैपिंग कर दिया गया है जो अब तक 61.7 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है,इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि इनकी मैपिंग पहले से ही मतदाता सूची में हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए की मदद ली जाएगी तथा अन्य कार्मिक व एनसीसी एनएसएस के वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरवाना होगा। ईएफ (एन्यूमरेशन फार्म) भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबधित कार्य किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप / वेबसाइट लॉन्च की गयी है, इस में 'बुक ए कॉल विद BLO का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता BLO से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दिनेश राय सापेला ने एसआईआर के शेड्यूल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे तथा 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 को इलेक्टोरल रोल के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा तथा इस ड्राफ्ट में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई एवं वेरिफिकेशन का कार्य होगा, इसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, ईआरओ जगदीश चन्द्र बामनिया एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुष्पक मीणा, सूचना सहायक अमोल अहारी जनसंपर्क विभाग,चुनाव शाखा प्रभारी फिरोज अली सहित जिले के सभी मीडिया कर्मी उपस्थित रहें।

मतदाता जागरूकता कार्यों में सहयोग का आह्वान

रायसिंहनगर @ पत्रिका. आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं एसडीएम की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई और चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। उपखंड अधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे निर्वाचन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए अपने स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदाता जागरूकता कार्यों में सहयोग करें। बैठक में चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-जनित जानकारी के जिम्मेदार उपयोग और उसके प्रकटीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान सहायक निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी हर्षिता मिढा भी मौजूद रही।

एसआईआर- इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई पर जिला निर्वाचन अधि. सख्त नाराज

बीकानेर, (निसं)। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई बरते जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने गंभीरता से लिया। उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इलेक्टर मैपिंग से जुड़े कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। मैपिंग से जुड़े कार्य में गति नहीं आने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उच्च स्तर पर इससे अवगत भी करवाया जाएगा। इस दौरान मैपिंग से जुड़े कार्य में बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व एवं खाजूवाला के न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ मौजूद रहे। वहीं अन्य विधानसभा के बीएलओ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। जिला कलेक्टर ने एक-एक बीएलओ से फीडबैक लिया। उन्होंने सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी पूर्ण गंभीरता से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि किसी विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य में गति नहीं हुई तो संबंधित ईआरओ भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। श्रीमती वृष्णि ने कहा कि जल्दी ही इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। इसके मद्देनजर आवश्यक सुधार के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्य क्रियान्वयन में किसी प्रकार की व्यवहारिक परेशानी आए तो बीएलओ तत्काल संबंधित ईआरओ, मास्टर ट्रेनर अथवा सुपरवाइजर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि 40 साल से कम आयु के मतदाताओं की मैपिंग के मामले में कोलायत सबसे फिसड्डी है। वहीं नोखा और खाजूवाला नीचे से क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। वहीं 40 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की मैपिंग में बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और खाजूवाला सबसे नीचे हैं। वहीं ओवरऑल मैपिंग में कोलायत, नोखा और बीकानेर पूर्व सबसे नीचे हैं। श्रीमती वृष्णि ने मैपिंग से जुड़ा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर श्रीडूंगरगढ़ और लूणकरणसर विधानसभा की तारीफ की और अन्य क्षेत्र के बीएलओ को इसी तर्ज पर काम करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जो कि सोमवार तक चलेगा। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा तथा आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिनकी सुनवाई और निस्तारण 31 जनवरी किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

डॉ. घनश्याम बीठू राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक नियुक्त

बीकानेर, (निसं)। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉ. घनश्याम बीठू को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना बीकानेर हेतु बीकानेर जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है।

पंचांग

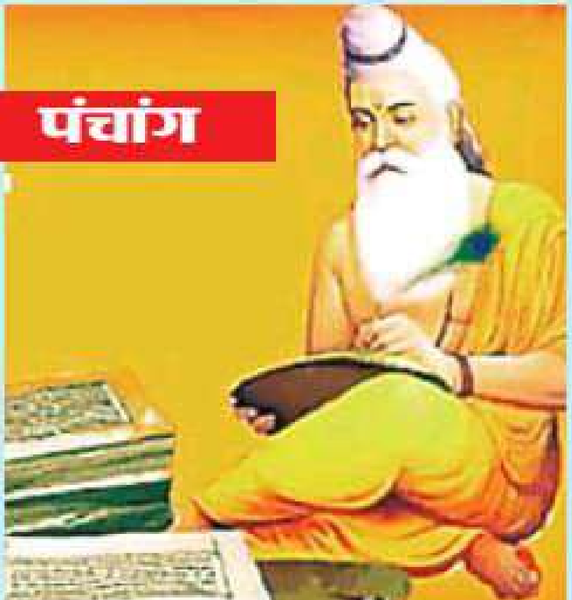

कार्तिक 11 शक संवत् 1947 कार्तिक शुक्ल एकादशी 07.40 बजे तक विक्रम संवत् 2082 सौर कार्तिक मास की प्रविष्टे 17 जमादि उल अव्वल 10 हिजरी संवत् 1447 मु. तदनुसार 2 नवम्बर 2025 रविवार दक्षिणायन हेमंत ऋतु। राहुकाल : 16.12 से 17.35 बजे तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 17.10 बजे तक रहेगा। योग : व्याघात 23.40 बजे तक। चन्द्रमा का संचरण मीन राशि में 11.10 बजे से। आज देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत वैष्णव, देवउठानी, तीन वन परिक्रमा मथुरा, तुलसी विवाह, चातुर्मास व्रत पूर्ण। भीष्म पंचक प्रारंभ। खाटूश्यामजी जयंती। मेला खाटूश्यामजी सीकर राज., त्रिपुष्कर योग 07.32 बजे से। सर्वार्थ सिद्धि योग 17.04 बजे से 30.02 बजे तक। मन्वादि। कोलायत पुष्कर स्नान प्रारंभ। गरुड द्वादशी। शुक्र तुला राशि में 13.14 बजे से। कालिदास जयंती। पंढरपुर यात्रा। मुक्तावली व्रत सातवां जैन

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान अब हुआ आसान, मैपिंग में आए मतदाताओं को नहीं देना होगा प्रमाण

श्रीकरणपुर @ पत्रिका. निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार चार नवंबर से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बीएलओ को घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र (ईएफ) भरवाकर हर मतदाता का प्रमाणीकरण करना है। इस संबंध में बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण नगरपालिका में संपन्न हुआ।

श्रीकरणपुर. नगरपालिका सभागार में बीएलओ को निर्देश देते एसडीएम व मास्टर ट्रेनर।

जानकारी अनुसार नगरपालिका हॉल में हुए प्रशिक्षण में एसडीएम श्योराम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) शुरू होने जा रहा है, इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध व त्रुटिरहित बनाना है। एसडीएम ने बताया कि एसआइआर अभियान को अब आसान बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का स्वंय, उनके माता-पिता अथवा अभिभावक का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में है तो उन्हें किसी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। एसडीएम ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग कार्य जारी है। स्थानीय विधानसभा में करीब ढाई लाख मतदाताओं में से 64.46 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। एसडीएम ने यह भी बताया कि मैपिंग में शामिल मतदाताओं को कोई प्रमाणीकरण दस्तावेज नहीं देना होगा। जबकि मैपिंग से वंचित मतदाताओं को गणना पूर्ण होने पर चार दिसंबर के बाद नोटिस मिलने पर श्रेणी के अनुसार अपना, माता-पिता अथवा दोनों के दस्तावेज देने होंगे। मास्टर ट्रेनर प्राचार्य अमित बतरा, केवल सिंह, नवराजसिंह लखियां, महेंद्रपाल सिंह चौधरी ने बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया।

बीएलओ और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण

अनूपगढ़ @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत शुक्रवार को अनूपगढ़ व घड़साना पंचायत समितियों में बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हंसराज जोशी ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया समझाई । इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम अनूपगढ़ सुरेश राव, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) अनूपगढ़ दिव्या चावला तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) रावला रामस्वरूप मीणा उपस्थित रहे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण और डीप फेक वीडियो पर चर्चा

सीमा सन्देश #सादुलशहर। सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक एसडीएम रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई। मतदाता सूचियां के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के बारे में चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि गणना प्रपत्र के साथ अभी किसी तरह का दस्तावेज नहीं दिया जाना है। ड्राट पब्लिकेशन के बाद जिन लोगों के नाम रह जाएंगे, उन्हें ही निर्धारित निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित ही दस्तावेज देने होंगे। इसके अलावा चुनाव सबन्धी चर्चा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाए यह डीप फेक वीडियो को चुनाव सबन्धी प्रचार-प्रसार में शामिल करते समय सावधानियों पर चर्चा की गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी व तहसीलदार रजनी चौधरी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय जांगिड, नगर कांग्रेस अध्यक्ष भवानीशंकर सोनी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष, अमन मक्कड़, बसपा के हरबंस सिंह, आम आदमी पार्टी के स्वराज सिंह, पार्षद छिंद्रपाल चावला, आदि ने विचार व्यक्त किए।

अनूपगढ़ ; मतदाता सूची शुद्धिकरण हेतु बैठक

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा

सीमा सन्देश # अनूपगढ़

भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को उपखंड कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश राव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। इसमें विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ के मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, सुव्यवस्थीकरण तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। एसडीएम राव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता को भारतीय नागरिक, 18 वर्ष से अधिक आयु का, निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी तथा किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित न होना चाहिए। राव ने बताया कि 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। सुव्यवस्थीकरण के बाद अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 270 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 26 नवसृजित हैं। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के तहत प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें उसका नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र व भाग संख्या पूर्व मुद्रित रहेगी। बीएलओ मतदाताओं को ये प्रपत्र वितरित करेंगे तथा पुराने विवरणों से मिलान कर नई रंगीन फोटो संलग्न करवाएंगे। मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेंटर कॉर्नर पर देखी जा सकती है। राव ने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त कर प्रशिक्षण दिलाने का आग्रह किया। बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दिव्या चावला, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीतू राठौड़, देहात मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बराड़, बसपा प्रभारी शंकर लाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम ज्याणी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राजेंद्र कुमार सहित विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूंबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्फ़) कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया और कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी साझा की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। मतदाता अब आयोग की वेबसाइट http://voters.eci.gov.in या मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट http://election.rajastan.gov.in पर पूर्व की मतदाता सूचियों को देख सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ना और अपात्र नामों को हटाना है। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें भरवाकर वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि जो मतदाता गणना फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी पात्र नागरिकों को यह फॉर्म भरना आवश्यक है।

अवधेश मीना ने बताया कि जिन मतदाताओं या उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में है, उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जबकि जिनका नाम 2002 की सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बीएलओ इस दौरान तीन बार घर-घर जाकर सर्वे करेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे बीएलओ, अब तक 61.7 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूण

उन्होंने बताया कि सलूंबर जिले में कुल 3,00,064 मतदाता हैं, जिनमें से अब तक 1,85,149 मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग की जा चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 61.7 प्रतिशत है। इन मतदाताओं को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि उनकी जानकारी पहले ही सत्यापित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में बीएलए, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवक भी बीएलओ की सहायता करेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसे जुर्माने या कारावास का दंड मिल सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।

दैनिक भास्कर

बारां 02-11-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला हुई

बारां| आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के तहत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली पूरी तरह त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें। ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान तिथियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

छबड़ा में बीएलओ, सुपरवाइजर को दिया प्रशिक्षण

पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छबड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) रामसिंह गुर्जर, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) छीपाबड़ौद अभिमन्यु सिंह कुंतल ने बीएलओ, सुपरवाइजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर डीएलएमटी, एएलएमटी सत्यनारायण शर्मा, पंकज गालव, अनुभा शर्मा, तरूण मित्तल द्वारा पीपीटी से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ द्वारा एसआईआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया एवं बीएलओ की समस्त समस्या, शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में एईआरओ (तहसीलदार) छीपाबड़ौद सुरेन्द्र गुर्जर, तहसीलदार छबड़ा यादवेंद्र यादव, सीबीईओ वीरेंद्र सिंह यादव, सीबीईओ दिनेश भार्गव, बीडीओ छबड़ा अभिषेक मीणा एवं समस्त निर्वाचन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर प्रतापगढ़ 02-11-2025

बूथ लेवल अधिकारियों को दिया एसआईआर का रिफ्रेशर प्रशिक्षण, घर-घर जाकर बाटेंगे गणना पत्र

भास्कर न्यूज़ | धरियावद

क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया के निर्देशन में हुआ। कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण करते हुए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर विस्तृत जानकारी एवं ईसीआई के दिशा-निर्देश साझा किए। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। गणना चरण के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य किया जाएगा। मतदाता को अपना नवीनतम फोटो एवं गणना पत्र भरकर हस्ताक्षर करने होंगे। मतदाता द्वारा स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप में किसी प्रविष्टि से आपत्ति या अपना नाम नहीं जुड़ने से संबंधित दावा एक माह के अंदर किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीएलओ द्वारा शत-प्रतिशत योग्य मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान दक्ष प्रशिक्षक प्रवीण सिंह भाटी, खेमराज मीणा, तेजसिंह राणावत, विजय मेघवाल, ईआरओ कार्यालय से योगेश जाटव, लोकेश मेघवाल, पुष्पेंद्र डागर, प्रकाशचंद्र मेघवाल सहित ई आर ओ संदीप कुमार जैन मौजूद रहे।

बीएलओ और सुपरवाइजर का ब्रीफिंग सत्र आयोजित

जालोर | विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शनिवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ, एईआरओ व मास्टर ट्रेनर्स की ओर से बीएलओ व सुपरवाइजर के ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के दौरान बीएलओ व सुपरवाइजर को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों की पालना करने तथा नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने ब्रीफिंग सत्र को संबोधित करते हुए बीएलओ को घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्रों के समयबद्ध वितरण एवं भरे हुए प्रपत्रों का संकलन करने, आईडी मैपिंग सहित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रमोद कुमार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रवीण कुमार चौधरी, नायब तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह, मास्टर ट्रेनर भंवरलाल, अशोक कुमार, किशोर कुमार, किशन लाल, वरिष्ठ सहायक प्रवीण भादू, भावेश कुमार, अनिल कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

पत्रिका

मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना ही प्राथमिकता

छबड़ा @ पत्रिका. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। ईआरओ गुर्जर ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि छबड़ा विधानसभा में दो लाख 57 हजार मतदाता हैं। मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना हैं। इसी प्रक्रिया के तहत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओं द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। 9 दिसम्बर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाकर 31 जनवरी तक वेरिफेशन किया जाएगा। 7 फरवरी को फाईनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। ईआरओ के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हे भी 4 नवम्बर तक सक्रिय रहना होगा। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन, कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी, ब्लॉक कांग्रेस प्रतिनिधि एडवोकेट राजेश भार्गव, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीपी गेरा, पूर्व महामंत्री हरिओम गौड़ आदि उपस्थित रहें।

02/11/2025 | Baran | Page : 4
Source :
https://epaper.patrika.com/

में ही काम को पूरा करें।

विशेष गहन पुनरीक्षण: बीएलओ को दिया प्रथम प्रशिक्षण

नवज्योति/पाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के पासत पाली जिले के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को दायित्वों के सम्बन्ध में पाली, सुमेरपुर, सोजत, बाली तथा मारवाड़ जंक्शन और रानी में प्रथम प्रशिक्षण शुक्रवार को आयोजित किया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंग सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एल एन मंत्री के निर्देशानुसार प्रक्षिक्षण आयोजित कर जिसमें उपस्थित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने इछड बीएलओ के दायित्व को ढढळ पीपीटी के माध्यम से समझाया गया। इस अवसर पर मारवाड़ जंक्शन तथा रानी में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह ने बीएलओ को सम्बोधित करते हुए कहा है कि गणना प्रपत्र पहले की तुलना में आसान हो गया है, विगत गहन पुनरीक्षण से मतदाताओं की मैपिंग शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता पीछे नहीं छूटे ऐसा प्रयास हो व प्रत्येक प्रविष्टि को सही भरने, समयबद्ध कार्य सम्पादन सुनिासित करने के निर्देश दिये है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भी संबोधित किया। गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत 4 नवंबार से बीएलओ घर-घर आकर परिगणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता को उपालब्धा करवाएंगे। इस अवसर पर बताया गया कि अबकी बार मतदाताओं को पूर्व में ही मैपिंग होने के कारण गणना प्रपत्र के जमा कराने के समय साथ में कोई दस्तावेज नहीं देने है। प्रथम प्रशिक्षण में जिले के समस्त बीएलओ ने भाग लिया। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तुलसीराम, हेमन्त दवे, बसन्त कुमार, विक्रम सिंह, अनुराग चतुर्वेदी, निरजंन त्रिवेदी, करीम टॉक आदि मौजूद रहे।

जागरूक टाइम्स

epaper.jagruktimes.co.in
Sirohi - 02 Nov 2025 - Page 5

विशेष गहन पुनरीक्षण को बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

जागरूक टाइम्स संवाददाता

पाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य म के तहत जिले के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को उनके दायित्वों की जानकारी देने के लिए पाली, सुमेरपुर, सोजत, बाली, मारवाड़ जंक्शन और रानी में प्रथम प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बजरंग सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने आवश्यक जानकारी दी। मारवाड़ जंक्शन और रानी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह ने बीएलओ को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार गणना प्रपत्र को पहले की तुलना में और अधिक सरल बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाताओं की 100 प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान सूची से वंचित न रहे। यह भी बताया कि इएफ फॉर्म की प्रत्येक प्रविष्टि को सही ढंग से भरना और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करना आवश्यक है। इस बार मतदाताओं की पूर्व मैपिंग होने के कारण, गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाएंगे। प्रशिक्षण सत्र में जिले के सभी बीएलओ उपस्थित रहे। इस दौरान जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तुलसीराम, हेमंत दवे, बसंत कुमार, वि मसिंह, अनुराग चतुर्वेदी, निरंजन त्रिवेदी और करीम टॉक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

सुमेरपुर। विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर-121 में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य म 2026 की तैयारियों को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों की बैठक शु वार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम कालूराम कुम्हार के सानिध्य में हुआ। इस दौरान जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर विशाल श्रीवास्तव ने बीएलओ को गणना प्रपत्र में भरी जाने वाली सूचनाओं, ऑनलाइन प्र िया और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा स्तरीय हेल्प डेस्क की सहायता लेने संबंधी जानकारी दी। एसडीएम कुम्हार ने कहा कि फील्ड में कार्य करते समय बीएलओ को निष्पक्षता, शालीनता और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। घर-घर सत्यापन के दौरान अपने पहचान पत्र धारण कर निर्वाचकों से विनम्रता से संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा, उपतहसील तखतगढ़ नायब तहसीलदार जितेन्द्र बबेरवाल, चुनाव शाखा से हजाराम अध्यापक, सूचना सहायक गौतम कुमार बारिया और सुमित कुमार सहित सभी बीएलओ उपस्थित रहे।

जागरूक टाइम्स

epaper.jagruktimes.co.in
Mumbai - 02 Nov 2025 - Page 10

विशेष गहन पुनरीक्षण को बीएलओ का प्रथम प्रशिक्षण

पाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी देने के लिए पाली, सुमेरपुर, सोजत, बाली, मारवाड़ जंक्शन और रानी में प्रथम प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बजरंग सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एल. एन. मंत्री के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने BLO को PPT प्रस्तुति के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी। मारवाड़ जंक्शन और रानी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह ने बीएलओ को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार गणना प्रपत्र को पहले की तुलना में और अधिक सरल बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाताओं की 100 प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान सूची से वंचित न रहे। महावीर सिंह ने बताया कि ईएफ फॉर्म की प्रत्येक प्रविष्टि को सही ढंग से भरना और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करना आवश्यक है। इस बार गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

एसआईआर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीएलओ व सुपरवाईजर का ब्रीफिंग सत्र का हुआ आयोजन

मरु लहर न्यूज

जालोर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शनिवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ, एईआरओ व मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बीएलओ व सुपरवाईजर के ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के दौरान बीएलओ व सुपरवाईजर को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करने तथा नवीनतम दिशा-निर्देशों

की जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग सत्र को संबोधित करते हुए बीएलओ को घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्रों के समयबद्ध वितरण एवं भरे हुए प्रपत्रों का संकलन करने, आईडी मैपिंग सहित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित किया गया।इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रमोद कुमार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रवीण कुमार चौधरी, नायब तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह, मास्टर ट्रेनर भंवरलाल, अशोक कुमार, किशोर कुमार, किशन लाल, वरिष्ठ सहायक प्रवीण भादू, भावेश कुमार, अनिल कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे।

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा–निर्देश की दी जानकारी

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम(एसाईआर) के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त् प्रकाश डूडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नही कराना पडेगा।

उनका न ाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे।

2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की

ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।

सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि
वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश की दी जानकारी

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभा भवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

2002 की सूची में शामिल वोटर को कोई दस्तावेज देने की जरुरत नहीं : एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना पड़ेगा। उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण : एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र : उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

पार्षदों को तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने राज्य निर्वाचन विभाग के बताए निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर पार्षदों के साथ ली बैठक

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डूंगरपुर

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुन ?रीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसाईआर) के संदर्भ में शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई।

तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक में अधिकारी। - मयंक चौबीसा

2002 की सूची में शामिल वोटर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि, जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना पडेगा। उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसी आईडॉटजी ओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार-आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश की दी जानकारी

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसाईआर के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओए चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरनेए सही एवं पूरी जानकारी देनेए नवीनतम फोटो लगानेए आधार नंबर देनेए कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

2002 की सूची में शामिल वोटर को कोई दस्तावेज देने की जरुरत नही

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नही कराना पड़ेगा। उनका न ाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तकए दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होनेए फेज वाइस वितरण होनेए प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्यए दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरें जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित

पैंतरा न्यूज।

बारां, 01 नवम्बर। आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई।

कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली पूरी तरह त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाईजरों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान तिथियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

छबड़ा में भी दिया प्रशिक्षण

पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छबड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) रामसिंह गुर्जर, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) छीपाबड़ौद अभिमन्यु सिंह कुन्तल ने बीएलओ, सुपरवाइजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर डीएलएमटी, एएलएमटी सत्यनारायण शर्मा, पंकज गालव, अनुभा शर्मा, तरूण मित्तल द्वारा पीपीटी से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ द्वारा एसआईआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया एवं बीएलओ की समस्त समस्या, शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में एईआरओ (तहसीलदार) छीपाबड़ौद सुरेन्द्र गुर्जर, तहसीलदार छबड़ा यादवेन्द्र यादव, सीबीईओ वीरेन्द्र सिंह , यादव, सीबीईओ दिनेश भार्गव, बीडीओ छबड़ा अभिषेक मीणा एवं समस्त निर्वाचन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित

बारां, 01 नवबंर (हाड़ौती संचार)।

आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई।

कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली पूरी तरह त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचाा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाईजरों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान तिथियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

छबड़ा में भी दिया प्रशिक्षण

पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छबड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) रामसिंह गुर्जर, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीएम) छीपाबड़ौद अभिमन्यु सिंह कुन्तल ने बीएलओ, सुपरवाइजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर डीएलएमटी, एएलएमटी सत्यनारायण शर्मा, पंकज गालव, अनुभा शर्मा, तरूण मित्तल द्वारा पीपीटी से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ द्वारा एसआईआर के

अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया एवं बीएलओ की समस्त समस्या, शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में एईआरओ (तहसीलदार) छीपाबड़ौद सुरेन्द्र गुर्जर, तहसीलदार छबड़ा यादवेन्द्र यादव, सीबीईओ वीरेन्द्र सिंह यादव, सीबीईओ दिनेश भार्गव, बीडीओ छबड़ा अभिषेक मीणा एवं समस्त निर्वाचन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।

समारोह

ए, 15

र्णय

विशेष गहन पुनरीक्षण

बीएलओ को दिया प्रथम प्रशिक्षण

मरू लहर न्यूज

पाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के पश्चात पाली जिले के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को दायित्वों के सम्बन्ध में पाली, सुमेरपुर, सोजत, बाली तथा मारवाड़ जंक्शन और रानी में प्रथम प्रशिक्षण शुक्रवार को आयोजित किया गया।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंग सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एल एन मंन्त्री के निर्देशानुसार प्रक्षिक्षण आयोजित कर जिसमें उपस्थित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने [illegible] बीएलओ के दायित्व को [illegible] पीपीटी के माध्यम से समझाया गया। इस अवसर पर मारवाड जक्शन तथा रानी में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह ने बीएलओ को सम्बोधित करते हुए कहा है कि गणना प्रपत्र

पहले की तुलना में आसान हो गया है, विगत गहन पुनरीक्षण से मतदाताओं की मैपिंग शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता पीछे नहीं छूटे ऐसा प्रयास हो व ईएफ की प्रत्येक प्रविष्टि को सही भरने, समयबद्ध कार्य सम्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भी सम्बोधित किया। गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत दिनांक 04.10.2025 से बीएलओ घर-घर आकर परिगणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता को उपलब्ध करवायेगें। इस अवसर पर बताया गया कि अबकी बार मतदाताओं को पूर्व में ही मैपिंग होने के कारण गणना प्रपत्र के जमा कराने के समय साथ में कोई दस्तावेज नही देने है। प्रथम प्रशिक्षण में जिले के समस्त बीएलओ ने भाग लिया। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स तुलसीराम, हेमन्त दवे, बसन्त कुमार, विक्रम सिंह, अनुराग चतुर्वेदी, निरजंन त्रिवेदी, करीम टॉक आदि उपस्तिथ रहे।

कोसे लाव जैन दादावाड़ी में दीपोत्सव पर रामा

रूपावास पुरोहितान ग्राम में श्री

दैनिक भास्कर
सीकर भास्कर 02-11-2025

एसआईआर मैपिंग का निरीक्षण किया

लक्ष्मणगढ़ | निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम ने बीएलओ के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। एसआईआर अभियान के अंतर्गत बीएलओ द्वारा किए जा रहे मैपिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए एसडीएम मोहर सिंह मीना ने सनवाली गांव के भाग संख्या 141 का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम मीना ने बीएलओ अरविंद शर्मा से बूथ से सम्बधित जानकारी लेते हुए एसआईआर के दौरान मतदाता मैपिंग सहित अन्य कार्य सतर्कता व पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए।

दैनिक भास्कर

अलवर जिला 02-11-2025

मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण में स्वयंसेवक भी लगेंगे, प्रशिक्षण मिलेगा

भास्कर न्यूज़| कठूमर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी, प्रभावी, समयबद्ध संचालन एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिये दो नबंवर को बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए 2) और बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों को और तीन नबंवर को स्वयंसेवकों को पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया दो नबंवर को पंचायत समिति सभागार में भाग संख्या 1 से 70 तक के बीएलओ को 9.30 बजे से 11 बजे तक, भाग संख्या 71 से 150 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर को 11.30 बजे से 1 बजे तक और भाग संख्या 151 से 231 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर को 1.30 बजे से तीन बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही पंचायत समिति सभागार में भाग संख्या 1 से 231 तक के बीएलए दो को 3.30 बजे से पांच बजे तक प्रशिक्षण दिया गया जाएगा। वही तीन नबंवर को पंचायत समिति सभागार में भाग संख्या 1 से 50 तक के स्वयं सेवकों को सुबह 10 से 11 बजे तक, भाग संख्या 51 से 100 तक के स्वयं सेवकों को 11.30 से 12.30 बजे तक, भाग संख्या 101 से 150 तक के स्वयं सेवकों को 1 बजे से दो बजे तक, भाग संख्या 151 से 200 तक के स्वयं सेवकों को 2.30 से 3.30 बजे तक और भाग संख्या 201 से 231 तक के स्वयं सेवकों को 4 बजे से पांच बजे तक प्रशिक्षण होगा।

दैनिक भास्कर अलवर जिला 02-11-2025

वार्डों में हेल्प डेस्क से मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे

अलवर| विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलए-2 और स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने परिगणना प्रपत्र वितरण, बीएलओ एप के उपयोग, मैपिंग और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी माधव भारद्वाज ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे और गोपनीयता बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक सहयोग करेंगे और प्रत्येक वार्ड में हेल्पडेस्क बनाकर मतदाताओं की शंकाओं का समाधान किया जाएगा। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारूप जारी होगा। जबकि, 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम मालाखेड़ा नवज्योति कावरिया, तहसीलदार रश्मि शर्मा, एईआरओ अशोक शर्मा, मोनिका शर्मा सहित बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए-2 और स्वयंसेवक मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान ईएलसी क्लबों को एसआईआर के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए गए।

दैनिक भास्कर अलवर भास्कर 02-11-2025

हेल्प डेस्क से मतदाता की समस्याओं का समाधान करेंगे

अलवर| विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलए-2 और स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने परिगणना प्रपत्र वितरण, बीएलओ एप के उपयोग, मैपिंग और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी माधव भारद्वाज ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे और गोपनीयता बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक सहयोग करेंगे और प्रत्येक वार्ड में हेल्पडेस्क बनाकर मतदाताओं की शंकाओं का समाधान किया जाएगा। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारूप जारी होगा। जबकि, 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

सत्यापन कार्य निष्पक्षता से करने के निर्देश

मतदाता सूची को लेकर बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

सपोटरा पंचायत समिति में प्रशिक्षण में उपस्थित कलक्टर व बीएलओ।

सपोटरा@ पत्रिका. पंचायत समिति सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में बीएलओ को सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला कलक्टर ने कहा कि समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर अभियान को सफल बनाना आवश्यक है। बीएलओ और सुपरवाइजरों को घर-घर जाकर सत्यापन कार्य शालीनता और निष्पक्षता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए क्षेत्र में कार्यरत पीईईओ, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक तथा राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बीएलओ प्रथम व द्वितीय का सहयोग लेना होगा। सभी को संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसम्बर को और अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा।

आयोग द्वारा दी गई नई सुविधा प्रोजेनी मैपिंग की जानकारी भी साझा की गई। इसमें मतदाता अपने तथा परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता, दादा-दादी आदि के नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या उपलब्ध करवाकर मैपिंग करा सकते हैं। इस अवसर पर आयोग की नवीनतम गाइडलाइन का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। कार्यक्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंकज बडगूजर, तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल, मास्टर ट्रेनर राजकुमार मीणा और सहायक प्रोग्रामर रोहित जिंदरल उपस्थित रहे।

मतदाता सूची के सत्यापन के लिए दिशा निर्देश दिए

सिणधरी | पंचायत समिति परिसर के सभागार में शनिवार को केशव कुमार मीणा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुड़ामालानी ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची के सत्यापन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बताया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होते ही मतदाता सुची फ्रीज कर दी गई है। एईआरओ कार्मिक मगाराम माचरा ने बताया कि इस बैठक में 46 बूथ लेवल अधिकारियों व 5 सुपरवाइजर ने भाग लिया। जिन मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग हो जाएगी उनसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तथा बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तीन बार घर-घर जाकर मतदाताओं से परी गणना पर पत्र भरवा जाएंगे। इस कार्य में स्वयंसेवक शिक्षक भी उनकी सहायता करेंगे। बीएलओ की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा तथा 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे एवं दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग की ओर से निर्धारित दस्तावेज लिए जाएंगे आधार को केवल पहचान के दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण: बीएलओ व सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण

भास्कर संवाददाता | अनूपगढ़

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को अनूपगढ़ एवं घड़साना पंचायत समितियों में बूथ लेवल अधिकारियों एवं बीएलओ सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हंसराज जोशी ने निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। एसडीएम अनूपगढ़ सुरेश राव ने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि यह कार्य लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

रायसिंहनगर | विधानसभा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 को लेकर निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी एवं एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर अभियान को लेकर जानकारी दी। एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम ने एसआईआर अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को जानकारी दी। राजनीतिक दलों द्वारा बूथ स्तरीय बीएलए नियुक्त करने को कहा। भाजपा के बीएलए प्रथम विधानसभा प्रभारी राधेश्याम भाकर, नगर मंडल अध्यक्ष ललित गर्ग, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष श्यामलाल मुथा, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष करण नायक व अध्यक्ष तारा बौद्ध मौजूद रहे।

राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हुई बैठक

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा

अनूपगढ़, 1 नवम्बर (बाबूलाल कुदावला)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चलाएं जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ के मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन/सुव्यवस्थिकरण तथा निर्वाचन संबंधित विभिन्न कार्यो की समीक्षा को लेकर अनूपगढ़ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश राव की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में शनिवार को राजनैतिक दलों के पदाधिकारीयो एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुरेश राव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से

अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। वह व्यक्ति किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है।

बैठक में बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के बाद कुल मतदान केंद्रों की संख्या 270 है जिनमे से नवसृजित मतदान केंद्रों की संख्या 26 है। मतदान केंद्रों का निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन हो चुका है। बैठक में एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करना चाहिए। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दिव्या चावला, अनूपगढ़ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नीतू राठौड़, देहात मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बराड़, बसपा अनूपगढ़ के प्रभारी शंकर लाल, अनूपगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम ज्याणी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अनूपगढ़ के राजेंद्र कुमार सहित विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

बीएलओ सुपरवाइजर और स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

प्रशिक्षणार्थियों को दी गई एसआईआर के संबंध में विस्तृत जानकारी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, अलवर। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 का बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधिवत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर माधव भारद्वाज ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग बीएलओ एप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने बीएलओ-2 से अपील की कि मतदाता का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाने में सहयोग करें। इस के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआईआर की गोपनीयता को बनाए रखने एवं परिगणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण बीएलओ द्वारा ही किया जावे। अन्य सहयोग के लिए प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक नियुक्त किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे एवं परिगणना प्रपत्र को भरने एवं ऑनलाइन करने में मदद करेंगे। विधानसभा क्षेत्रा अलवर शहर के परिक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करें।

4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक भरे जाएंगे परीगणना-प्रपत्र, बीएलओ घर-घर जाएंगे: सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, पीटीएस) ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा, 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा नवज्योति कावरिया, तहसीलदार अलवर रश्मि शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक प्रथम) अशोक शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक द्वितीय) मोनिका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे।

बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए -2 एवं स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

प्रशिक्षणार्थियों को दी गई एसआईआर के संबंध में विस्तृत जानकारी

भिवाड़ी टाइम्स

अलवर(भिवाड़ी टाइम्स)। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 का बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधिवत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर माधव भारद्वाज ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग बीएलओ एप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बीएलओ-2 से अपील की कि मतदाता का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाने में सहयोग करें। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआईआर की गोपनीयता को बनाए रखने एवं परिगणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण बीएलओ द्वारा ही किया जावे। अन्य सहयोग के लिए प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे एवं परिगणना प्रपत्र को भरने एवं ऑनलाइन करने में मदद करेंगे। विधानसभा क्षेत्रा अलवर शहर के परिक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करें। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, पीटीएस) ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा, 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा सुश्री नवज्योति कावरिया, तहसीलदार अलवर श्रीमती रश्मि शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक प्रथम) अशोक शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक द्वितीय) श्रीमती मोनिका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे।

एसआइआर | चार नवंबर से घर- घर शुरू होगा अभियान, पहले नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज, नाम भी जुड़ेंगे

15 से 20% मतदाताओं को ही देने होंगे दस्तावेज

मैपिंग से वंचित वोटर्स को ही ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद पेश करना होगा दस्तावेज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सीकर. जिले सहित प्रदेशभर में मतदाताओं की पहचान व नागरिकता की जांच के लिए आयोजित होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम में करीब 15 से 20 फीसदी मतदाताओं को ही दस्तावेज पेश करने होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं या उनके माता- पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उन्हें पहचान का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यही नहीं जिन मतदाताओं या उनके माता- पिता का नाम देश के अन्य राज्यों की मतदाता सूची में है तो उन्हें भी दस्तावेज देने से छूट होगी। देशभर की पेन वोटर लिस्ट के आधार पर ऐसे मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग किए जाने की वजह से ऐसा होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि जिले में 80 से 90 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग होने की उम्मीद है। ऐसे में एसआइआर में बहुत कम मतदाताओं को ही दस्तावेज पेश करने होंगे।

जिले में 67.47 फीसदी की हुई मैपिंग

एसआइआर को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर मुकुल शर्मा ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने एसआइआर के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिले में मतदाताओं की मैपिंग 67.47 प्रतिशत पूरी होने की मैपिंग के मामले में सीकर जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। जिले में 90 फीसदी तक मैपिंग संभव है।

सीकर. प्रेस को ब्रीफ करते जिला कलक्टर।

एसआइआर में ये भी जानना जरूरी

1. खुद ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

गणना फॉर्म को कोई भी मतदाता ऑनलाइन भी भर सकता है। इसके लिए मतदाता को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन कर अपनी जानकारी के साथ फोटो अपलोड करनी होगी।

2. नए मतदाता भी जुड़वा सकेंगे नाम

एसआइआर में अब नए मतदाता भी जुड़ सकेंगे। इसके लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक को फॉर्म न. 6 के साथ पहचान का दस्तावेज बीएलओ को देना होगा।

3. विवाहिता की मैपिंग माता-पिता से

एसआइआर में विवाहिता की मैपिंग पति के नाम से नहीं होगी। इसकी जगह उनकी मैपिंग माता- पिता के नाम से होगी।

4. घर बंद हुआ तो फोन पर मिलेगी जानकारी

यदि गणना के समय कोई घर बंद है तो बीएलओ गणना प्रपत्र घर के मुख्य द्वार के नीचे से खिसकाकर उसकी जानकारी फोन पर मतदाता को देंगे। मतदाता के घर एक सूचना भी चिपकाएंगे।

5. रिश्तेदार भी भर सकेंगे फार्म

यदि कोई मतदाता गणना फॉर्म भरने के काल में घर से बाहर है तो उसके रिश्तेदार उसका फॉर्म भर सकेंगे। उन्हें फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी होगा।

6. प्रवासियों को परेशानी नहीं

दूसरे राज्य से आने वाले मतदाताओं की मैपिंग उनके मूल राज्य की मतदाता सूची से होने पर उन्हें भी कोई दस्तावेज पेश नहीं करने होंगे।

यूं होगा एसआइआर

1. बीएलओ घर- घर भरवाएंगे ईएफ

एसआइआर में चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ दो प्रतियों में हिंदी में प्रकाशित गणना फॉर्म (ई.एफ) के साथ घर- घर पहुंचेंगे। फार्म में मतदाताओं को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के साथ जन्म तिथि, आधार कार्ड (वैकल्पिक), मोबाइल नम्बर तथा पिता, माता व जीवन साथी का नाम व उनके मतदाता पहचान पत्र नम्बर (अगर हो तो) भरने के साथ हस्ताक्षर करने होंगे। गणना फार्म वितरण व भरने के बाद उनके संग्रहण के लिए बीएलओ कुल तीन बार घर पहुंचेंगे। फॉर्म भरने के बाद दो में से एक प्रति बीएलओ व दूसरी मतदाता के पास रहेगी। इस दौरान मतदाता को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।

2. 9 दिसंबर: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन:

गणना फॉर्म के संग्रहण के बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। इस पर आठ जनवरी तक दावा या आपत्ति पेश की जा सकेगी।

3. 9 दिसंबर से 31 जनवरी: नोटिस के बाद देने होंगे दस्तावेज

जिन मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग हो चुकी है या जो मृत,स्थानान्तरित व दोहरी प्रविष्टी वाले मतदाता हैं उनको अलग किया जाएगा। इसके बाद जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है या जिनके विवरण की पुष्टि नहीं हुई है उनके लिए ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद पात्रता सिद्ध करने के लिए इआरओ नोटिस जारी करेगा। यहां मतदाता को अपना दस्तावेज पेश कर अपनी नागरिकता व पहचान सिद्ध करनी होगी।

4. 7 फरवरी: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन

जो मतदाता अपनी पहचान या नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे उन्हें छोड़ते हुए बाकी सभी मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

एसआइआर के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बीएलओ के प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। गणना चरण में मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। एसआइआर में सहायता के लिए विधानसभावार हेल्प डेस्क भी गठित की जाएगी। ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने की सुविधा से मतदाता कहीं भी रहकर आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर सकता है।

मुकेश निठारवाल, डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर, सीकर।

एसआइआर के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य

1. कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश जो नियमित कर्मचारी/कर्मचारी/ किसी केंद्रीय राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा जारी किया गया हो।
2. कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र/ दस्तावेज जो भारत सरकार स्थानीय प्राधिकरण बैंक, डाकघर,एलआईसी, पीएसयू दवारा एक जुलाई 1987 से पूर्व जारी किया गया हो।
3. मान्य प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि से जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राजय प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. ओबीसी, एससी या एसटी जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिक रजिस्टर (जहां मौजूद हो
10. सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित परिवार रजिस्टर।
11. कोई भूमि या मकान समर्पण प्रमाण पत्र।
12. आधार कार्ड (सिर्फ पहचान के लिए)
13. एक जुलाई 2025 के संदर्भ में बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अंश।

बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए -2 एवं स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

अलवर न्यूज

अलवर। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 का बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधिवत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर माधव भारद्वाज ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग बीएलओ एप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बीएलओ-2 से अपील की कि मतदाता का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाने में सहयोग करें। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआईआर की गोपनीयता को बनाए रखने एवं परिगणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण बीएलओ द्वारा ही किया जावे। अन्य सहयोग के लिए प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे एवं परिगणना प्रपत्र को भरने एवं ऑनलाइन करने में मदद करेंगे। विधानसभा क्षेत्रा अलवर शहर के परिक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करें।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, पीटीएस) ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा, 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

इस दौरान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा सुश्री नवज्योति कावरिया, तहसीलदार अलवर श्रीमती रश्मि शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक प्रथम) अशोक शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक द्वितीय) श्रीमती मोनिका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे।

बीएलओ व सुपरवाइजर को दिया गया प्रशिक्षण

अलवर@ पत्रिका. विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) 2026 का बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 व स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने एसआइआर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर माधव भारद्वाज ने प्रशिक्षण में मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग बीएलओ ऐप आदि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बीएलओ-2 से अपील की कि मतदाता का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाने में सहयोग करें। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक परिगणना-प्रपत्र भरे जाएंगे। इस मौके पर एसडीएम मालाखेड़ा नवज्योति कांवरिया भी रहीं।

विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए-2 व स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

प्रशिक्षण में एसआईआर कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 के अंतर्गत बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर माधव भारद्वाज ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता परिगणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं बीएलओ एप पर मैपिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिगणना प्रपत्रों को अब ऑनलाइन भरने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। भारद्वाज ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि एसआईआर की गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण बीएलओ स्वयं करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भाग संख्या में चार स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है, जो बीएलओ की सहायता करेंगे। इसके साथ ही हर वार्ड में एक हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा, जो मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेगा और परिगणना प्रपत्र भरने व ऑनलाइन करने में मदद प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) भी एसआईआर के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, पीटीएस) ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र भरवाएंगे। 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित होगा, जबकि 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। 9 दिसम्बर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण रहेगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा नवज्योति कावरिया, तहसीलदार अलवर रश्मि शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक प्रथम) अशोक शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक द्वितीय) मोनिका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हेतु बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलए -2 एवं स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

अलवर (का.सं.)

विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) 2026 का बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधिवत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अलवर शहर श्री माधव भारद्वाज ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग बीएलओ एप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बीएलओ-2 से अपील की कि मतदाता का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाने में सहयोग करें। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआईआर की गोपनीयता को बनाए रखने एवं परिगणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण बीएलओ द्वारा ही किया जावे।

अन्य सहयोग के लिए प्रत्येक भाग संख्या में 4 स्वयंसेवक नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे एवं परिगणना प्रपत्र को भरने एवं ऑनलाइन करने में मदद करेंगे। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के परिक्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करें।

4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक भरे जायेंगे परीगणना-प्रपत्र, बीएलओ घर-घर जाएंगे

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, पीटीएस) ने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे, 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा, 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है, 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा नवज्योति कावरिया, तहसीलदार अलवर रश्मि शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक प्रथम) अशोक शर्मा, एईआरओ (उप पंजीयक द्वितीय) मोनिका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अभिकर्ता-2 एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति Jalore-sirohi - 02 Nov 2025 - Page 7

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को दिए दिशा- निर्देश

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

नवज्योति/सिरोही।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों अनुरूप जिले में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ द्वारा मतदाता सूचि के प्रत्येक नाम, पते एवं परिवार की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के निदेर्शानुसार संबंधित कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राजेश गोयल ने अवगत करवाया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके उपरांत 4 नवम्बर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर विस्तृत चर्चा के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बीएलओ को 3 से 10 नवं. तक अन्य कार्यों से मुक्त रखने के निर्देश

रायसिंहनगर। मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को गति देने और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करवाने के उद्देश्य से रायसिंहनगर विधानसभा निर्वाचक पंजीकरण पदाधिकारी सुभाषचंद्र चौधरी ने आदेश जारी किए हैं। एसडीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि 3 से 10 नवंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को अन्य विभागीय कार्यों से मुक्त रखा जाए।

इस अवधि में उन्हें कार्यालय अथवा विद्यालय समय से पूर्ण दिवस की शिथिलता प्रदान की जाएगी ताकि अभियान कार्य में कोई बाधा न आए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाताओं की मैपिंग बीएलओ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिनका नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र संकलित कर निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे। चौधरी ने बताया कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान अवधि के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजरों पर कोई अतिरिक्त कार्यभार न डाला जाए। एसडीएम ने निर्देश दिए कि 10 नवंबर तक किसी भी चिकित्सक या आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा कार्मिकों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा बोर्ड से ही अनुमोदन करवाया जाए।

आमंत्रित किया गया है। उज्जैन रहे कथा वाचक श्याम स्वरूप अपने दस सदस्यीय दल के आज रविवार को भीनमाल

जालोर नगर संयोजक अजय गुप्ता, प्रांतीय अधिकारी राजकुमार, नारायण जांगिड़, जोगाराम चौधरी, सहित कई लोग उपस्थित रहे।

मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित खनन परियोजना को पूरी तरह निरस्त नहीं किया जाता, तब तक वे किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। भावरी उप तहसीलदार नैनाराम थम्ब बाबा मंदिर प्रांगण पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से

की। धरने में वाटेरा ग्राम पंचायत की प्रशासक सविता देवी, ग्रामीण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। इससे पूर्व में भारजा और रोहिड़ा गांवों में भी ग्रामीणों ने शिविरों का बहिष्कार किया।

मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण/पुर्नव्यवस्थापन के कार्य के लिए जिला संपर्क केन्द्र स्थापित

नवज्योति/सिरोही। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण/पुर्नव्यवस्थापन के कार्य 4 नवंबर से 7 फरवरी 2026 तक जिला संपर्क केन्द्र स्थापित किया जाकर नियंत्रण कक्ष में पारी वार अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राजेश गोयल ने बताया कि इसका प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुश्ताक अली 9602560476 को बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक भंवर सिंह दीया 9602430424, द्वितीय पारी दोपहर 2 से 10 बजे तक पार्थ राणा 7852835796, तृतीय पारी रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक में पुर्ष्पेंद्रसिंह 8209144020। वहीं आरक्षित में मनीष पाल सिंह 8955575777 और अनुपम मिश्रा 9352521934 रहेंगे। स्थापित नियंत्रण कक्ष कार्यालय अधीक्षक के कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष के साथ संचालित रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक भी आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। एसआईआर नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिक टोल फ्री नंबर 1950 पर प्राप्त होने वाली समस्त कॉल्स का रजिस्टर में संधारण करेंगे एवं 1950 पर आने वाली शिकायतें एवं समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सूचित कर समस्याओं का समाधान करवाएंगे।

बजरंगबली डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता| साकड़ विजेता व

माधव विश्वविद्यालय में

पत्रिका

एसआईआर : इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई, 32 बीएलओ को नोटिस

न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को करनी होगी नियमित समीक्षा

बीकानेर @ पत्रिका. मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई बरते जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इलेक्टर मैपिंग से जुड़े कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दिए। साथ ही सख्त हिदायत दी कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। मैपिंग से जुड़े कार्य में गति नहीं आने पर कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

इस दौरान बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व एवं खाजूवाला के न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ मौजूद रहे। अन्य विधानसभा के बीएलओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलक्टर ने बीएलओ से फीडबैक लिया।निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को गंभीरता से मॉनिटरिंग के लिए कहा।

वृष्णि ने बताया कि 40 साल से कम आयु के मतदाताओं की मैपिंग के मामले में कोलायत सबसे फिसड्डी है। वहीं नोखा और खाजूवाला नीचे से क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। वहीं 40 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की मैपिंग में बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और खाजूवाला सबसे नीचे हैं। ओवरऑल मैपिंग में कोलायत, नोखा और बीकानेर पूर्व सबसे नीचे हैं। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करने पर श्रीडूंगरगढ़ और लूणकरनसर विधानसभा की तारीफ की।

चार नवंबर से होगा घर-घर सर्वे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जो कि सोमवार तक चलेगा। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे करेंगे। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी। इनका निस्तारण 31 जनवरी किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इन्हें मिली 17 सीसीए की चार्जशीट

बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महिमा कसाना ने एसआईआर में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और उनकी संतानों की मैपिंग का कार्य आशा के अनुरूप नहीं करने पर न्यूनतम प्रगति वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत चार्ज सीट जारी की है।

बीकानेर पूर्व विस के 32 बीएलओ के विरुद्ध चार्जशीट जारी

बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने एसआईआर में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और उनकी संतानों की मैपिंग का कार्य आशा के अनुरूप नहीं करने पर न्यूनतम प्रगति वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्ज सीट जारी की है।

दैनिक भास्कर
हनुमानगढ़ भास्कर 02-11-2025

पुनरीक्षण अभियान • जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

घर-घर जाएंगे बीएलओ, जिनका डेटा पिछले SIR से मेल नहीं खाता, उन्हें नोटिस भिजवाएंगे

हनुमानगढ़| जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 की गतिविधियां 28 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदीलाल मीना ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे। वे परिगणना प्रपत्र घर-घर वितरित करेंगे और वहीं से संग्रह भी करेंगे। गणना चरण के दौरान किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र प्राप्त होंगे, उन्हें ही ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। सिर्फ वे मतदाता जिनका डेटा पिछले एसआईआर से मेल नहीं खाता या लिंक नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और पात्रता के अनुसार सुनवाई के बाद नाम जोड़े जाएंगे। कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ना और सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समावेशी बनाना। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जाएगा।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलेगा। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एक माह तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक शेष रहे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि 27 अक्टूबर, 2025 तक जिले में कुल 14 लाख 47 हजार 472 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 70.14 प्रतिशत मतदाताओं की एसआईआर-2025 के तहत भौतिक मैपिंग और 59 प्रतिशत मतदाताओं की ईसीआईनेट पर मैपिंग हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक मतदाता हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3,10,012 हैं, इसके बाद पीलीबंगा 3,07,955, नोहर 2,93,162, भादरा 2,82,897 और सबसे कम मतदाता संगरिया विधानसभा 2,53,446 में पंजीकृत हैं।

आवश्यकता पर पहचान और पात्रता के दस्तावेज: डॉ. यादव ने बताया कि नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पूर्व जारी सरकारी / बैंक / डाकघर / एलआईसी आदि का पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, भूमि / गृह आवंटन पत्र। जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र या परिवार रजिस्टर सहित अनेक दस्तावेजों को शामिल किया गया है।

दैनिक भास्कर
कोटा 02-11-2025

कलेक्टर ने ली उपखंड अधिकारियों की बैठक, गहन पुनरीक्षण की समीक्षा, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

बीएलओ अपना आईडी कार्ड साथ रखें, सभी उपखंड अधिकारी बीएलओ से रोज गणना प्रपत्र भरने की रिपोर्ट भी लें : कलेक्टर

सिटी रिपोर्टर | कोटा

कलक्टर पीयूष समारिया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के साथ ही राजस्व संबंधी आमजन के प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। कलेक्टर ने कहा कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। बीएलओ प्रत्येक मौजूदा मतदाता को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित

शनिवार को कलेक्ट्रेट में उपखंड अधिकारियों की बैठक लेते कलेक्टर।

करेंगे और भरा हुआ प्रपत्र वापस प्राप्त करेंगे। मतदाता को नाम या रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान/लिंक करने में मदद करेंगे, जो कि 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ आईडी कार्ड साथ रखें। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएलओ से रोज गणना प्रपत्र भरने की प्रगति रिपोर्ट ली जाए। कलेक्टर ने ईआरओ को निर्देश दिए कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स मैपिंग का कार्य बाकी है, वहां ईआरओ बीएलओ को निर्देश दें और वोटर्स मैपिंग का कार्य समय पर पूरा करवाएं। गणना प्रपत्र भरने का कार्य शुरू होने के साथ ही बीएलए की ट्रेनिंग करवाई जाए। वृद्ध, बीमार, दिव्यांग आदि श्रेणी के मतदाताओं की गणना प्रपत्र भरने में सहायता के लिए लगाए जाने वाले वॉलिंटियर्स को भी प्रशिक्षण दें। कॉलेजों में ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम करने तथा ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर चर्चा का सुझाव दिया। साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जानकारी ली। बैठक में एडीएम प्रशासन बीरेन्द्र सिंह यादव, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल, एसडीएम रामगंजमंडी, एसडीएम दीगोद, एसडीएम लाडपुरा, एडीएम, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व प्रकरणों का समाधान कर पेंडेंसी खत्म करें: कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों से पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, प्राइमरी डिक्री सहित अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरणों की पेंडेंसी खत्म कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉलोअप शिविरों में भी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जाए।

मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो : कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसडीआरएफ के तहत स्कूल एवं अन्य भवनों की मरम्मत के कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण हों। संबंधित अभियंता मरम्मत कार्यों की समय-समय पर मॉनिटरिंग करें एवं उपयोग में ली जा रही निर्माण सामग्री की जांच करें। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी उपापन समिति की बैठक समय पर आयोजित कर टेंडर प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर लें, ताकि तकनीकी स्वीकृति मिलते ही निविदा आमंत्रित की जा सके।

पत्रिका

क्लीन वोटर लिस्ट तैयार करने को मैदान में उतरेगी टीम, जिले में 70.14 प्रतिशत मतदाताओं की एसआइआर पूरी

कुछ लोग फैलाते हैं गलतफहमी मीडिया का काम सही सूचना पहुंचाना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

हनुमानगढ़. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2025 की गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदीलाल मीना ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदीलाल मीणा ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर वहां कई तरह के सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने गलतफहमी भी फैलाई। मामला कोर्ट में जाने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई। इस बीच प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब मीडिया का अहम रोल रहेगा। सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का दायित्व मीडिया पर है। हर कोई मीडिया पर भरोसा करता है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण करने में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ना और सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समावेशी बनाना है। जिला कलक्टर ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 14 लाख 47 हजार 472 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 70.14 प्रतिशत मतदाताओं की एसआईआर-2025 के तहत भौतिक मैपिंग और 59 प्रतिशत मतदाताओं की ईसीआईनेट पर मैपिंग हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक मतदाता हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3,10,012 हैं, इसके बाद पीलीबंगा 3,07,955, नोहर 2,93,162, भादरा 2,82,897 और सबसे कम मतदाता संगरिया विधानसभा 2,53,446 में पंजीकृत हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलेगा। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके उपरांत एक माह तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। नौ दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक शेष रहे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। अंततः सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान प्रपत्र भरने में कुछ स्वयंसेवक भी मतदाताओं की मदद करेंगे। विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं की सहायता के लिए जिले में 344 हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं तथा 4756 स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं। ये स्वयंसेवक घर-घर जाकर जरूरतमंद मतदाताओं को फॉर्म भरने और सत्यापन में सहयोग करेंगे। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदीलाल मीना, एपीआरओ राजपाल लंबोरिया, निर्वाचन शाखा से पवन कुमार आदि मौजूद रहे।

हनुमानगढ़ में मीडिया से बातचीत करते अधिकारी।

1549 मतदान केंद्रों पर चलेगा अभियान

जिले में वर्तमान में 1294 मतदान केंद्र पंजीकृत हैं, 255 नवीन वृद्धि मतदान केंद्र हैं। इस प्रकार जिले के 1549 मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1023, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1294 और सीपीआई (एम) द्वारा 284 बीएलए-2 नियुक्त किए गए हैं। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे। वे परिगणना प्रपत्र घर-घर वितरित करेंगे और वहीं से संग्रह भी करेंगे। गणना चरण के दौरान किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र प्राप्त होंगे, उन्हें ही ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। सिर्फ वे मतदाता जिनका डेटा पिछले एसआईआर से मेल नहीं खाता या लिंक नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और पात्रता के अनुसार सुनवाई के बाद नाम जोड़े जाएंगे। कलक्टर डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है– कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम अपील की सुनवाई करेंगे, जबकि द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। बीएलए भी मतदाताओं से भरे हुए परिगणना प्रपत्र एकत्रित कर सकेंगे, लेकिन वे एक दिन में अधिकतम 50 प्रपत्र ही जमा कर सकेंगे, जिनका बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इन सम्पूर्ण परिगणना प्रपत्र का उत्तरदायित्व बीएलए का रहेगा। जिन वोटरों का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल है, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और उन्हें कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ अपनी मर्जी से किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकेगा।

आवश्यकता पड़ने पर पहचान और पात्रता के यह रहेंगे दस्तावेज

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पूर्व जारी सरकारी/ बैंक / डाकघर / एलआईसी आदि का पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, भूमि/ गृह आवंटन पत्र। जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र या परिवार रजिस्ट्रर सहित अनेक दस्तावेजों को शामिल किया गया है।

एसआईआर को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं दें : एसडीएम

तारानगर. प्रतिनिधियों के साथ बैठक मे चर्चा करते एसडीएम राजेंद्र कुमार।

बैठक में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

भास्कर न्यूज | तारानगर

नगर पालिका के सभागार में शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एडीएम राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर भ्रामक व झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।

बैठक में ईओ अजय प्रताप सिंह, चुनाव शाखा प्रभारी भागचंद किरोड़ीवाल, साहवा पालिकाध्यक्ष करमचंद नैण, भाजपा के जमरद्दीन तेली, मो. तैयब, शिवकुमार, याकूब तेली, अशोक जांगिड़, चुन्नीलाल सैनी, कांग्रेस के पार्षद सहदेव सिंह, जयनारायण, हर्ष शर्मा, धनेश सैनी, असरफ खान, साजिद टाक आदी उपस्थित थे।

सादुलपुर ईआरओ ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर– 2026 की दी जानकारी

चूरू (हुक्मनामा समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम – 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को जिले के सादुलपुर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मनोज खेमादा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम – 2026 को लेकर चर्चा की। ईआरओ ने प्रतिनिधियों को एसआईआर के संबंध में प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर में राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्त्ता समुचित सहयोग करें ताकि संबंधित कार्य समय अनुसार सम्पादित किए जा सके। बैठक के दौरान एईआरओ धीरज झाझड़िया, रामफल, धर्मवीर पूनिया, गोपाल शर्मा, कृष्ण जांगिड़, राजपाल प्रजापत, नत्थूराम प्रजापत, सीताराम, संजय ख्यालिया सहित अन्य ने भाग लिया।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक हुई

रतनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मिथलेश कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श हेतु उपखंड कार्यालय में बैठक हुई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के सबंध में प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एसआईआर के दौरान सभी राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बुथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि एसआईआर से सम्बन्धित कार्य समय अनुसार सम्पादित किये जा सके। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, महेश सैनी, अध्यक्ष, प्रवीण शर्मा, तरूण कुमार चाकलान, ब्लॉक अध्यक्ष (कांग्रेस), भानीराम मेघवाल इन्द्राज खीचड, अरविन्द चाकलान, राजेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष (बसपा), मदन जाखड़, सचिव (सीपीआईएम) एवं घड़सीराम, पूर्व सरपंच गोलसर उपस्थित थे।

मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की

सादुलपुर | एसडीएम कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार शाम बैठक हुई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मनोज खेमादा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एसडीएम ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा, कांग्रेस व आप पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दी विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी

तारानगर. पंचायत समिति तारानगर के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को विस्तारपूर्वक जानकारी व प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। बीएलओ की ओर से मतदाताओं की मैपिंग की जा रही हैं।

एसडीएम ने राजनैतिक दलों से अपील की कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भ्रामक व झूठी अपवाहों की ओर ध्यान नहीं दें तथा इस प्रकार की अफवाहें सामने आने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) तारानगर कार्यालय में सूचित करें। प्रशिक्षण के दौरान बीएलए को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम सुधार, विलोपन तथा दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी अजीत सिंह राठौड़, अनूप खंडेलवाल, कृष्ण कुमार सहारण, मुकेश शर्मा, हरी इंदौरिया, तहसीलदार हनुमानसिंह, नायब तहसीलदार चुनाव शाखा प्रभारी भागचंद किरोड़ीवाल, मास्टर ट्रेनर, मनोज स्वामी, राजेश कुमार, देवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी एसआइआर की जानकारी

चूरू @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बैठक में विधानसभावार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एसआईआर गतिविधियों की जानकारी दी गई।

चूरू निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुनील कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर प्रतिनिधियों को एसआईआर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस से असलम खोखर, सीपीआईएम से दीपाराम, बसपा से ओमप्रकाश खेजड़ा, आम आदमी पार्टी से हरिओम जोशी आदि उपस्थित रहे। इससे पहले मास्टर ट्रेनर सोमेश कुमार शर्मा, भानू प्रकाश शर्मा, विजय कुमार, संजीव कुमार तथा मदनलाल ने पुनरीक्षण से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

सादुलपुर ईआरओ ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर- 2026 की दी जानकारी

हमारा गगन

चूरू। भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा के निर्देशन में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम – 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को जिले के सादुलपुर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मनोज खेमादा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम – 2026 को लेकर चर्चा की। ईआरओ ने प्रतिनिधियों को एसआईआर के संबंध में प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर में राजनैतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्त्ता समुचित सहयोग करें ताकि संबंधित कार्य समय अनुसार सम्पादित किए जा सके। बैठक के दौरान एईआरओ धीरज झाझड़िया, रामफल, धर्मवीर पूनिया, गोपाल शर्मा, कृष्ण जांगिड़, राजपाल प्रजापत, नत्थूराम प्रजापत, सीताराम, संजय ख्यालिया सहित अन्य ने भाग लिया।

पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बैठक

न्यूज सर्विस/नवज्योति, रतनगढ़। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मिथलेश कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श के लिए उपखंड कार्यालय में बैठक हुई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

2026 के सबंध में प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एसआईआर के दौरान सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। राजनैतिक दलों के बुथ लेवल अभिकर्ता एसआईआर के दौरान समुचित सहयोग करें ताकि एसआईआर से सम्बन्धित कार्य समय अनुसार सम्पादित किये जा सके। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, महेश सैनी, अध्यक्ष, प्रवीण शर्मा, तरूण कुमार चाकलान, ब्लॉक अध्यक्ष (कांग्रेस), भानीराम मेघवाल इन्द्राज खीचड, अरविन्द चाकलान, राजेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष (बसपा), मदन जाखड़, सचिव (सीपीआईएम) एवं घड़सीराम, पूर्व सरपंच गोलसर उपस्थित थे।

एसआईआर का उद्देश्य प्रत्येक योग्य मतदाता का मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करना

आमजन तक एसआईआर की जानकारी पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम : सुराणा

सीकर टाइम्स । चूरू

भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आपणी योजना कार्यालय परिसर कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया तथा एसआईआर के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य प्रत्येक योग्य मतदाता का मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि एसआईआर अंतर्गत बीएलओ द्वारा आदिनांक तक 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग कर ली गई है। उन्होंने जानकारी दी कि एनुमेरेशन फेज में मतदाताओं से किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा तथा इसमें बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर गतिविधियां संपादित करेंगे।

उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान मीडिया की भागीदारी सबसे अहम है। मीडिया प्रतिनिधि आमजन तक एसआईआर गतिविधियों के बारे में समुचित जानकारी प्रसारित करें ताकि कोई योग्य मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधि किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी व अफवाह प्रसारित होने की स्थिति होने पर फीडबैक भी दें। उन्होंने कहा कि मीडिया के सहयोग से निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार एसआईआर गतिविधियां समय वर्धन से पूरी की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई है तथा उन्हें एसआईआर के शेड्यूल व गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल पर बीएलए की नियुक्ति भी की गई है, जो एसआईआर के दौरान बीएलओ एवं मतदाताओं का आवश्यक सहयोग करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में मतदाताओं, मतदान केन्द्रों, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटवाने, आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी तथा एसआईआर की विस्तृत रूपरेखा, चुनौतियों एवं कार्य योजना, प्रथम व द्वितीय अपील, ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करने आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। मीडिया प्रतिनिधियों ने अपने सवालों के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम अर्पिता सोनी ने संचालन करते हुए विस्तृत शेड्यूल व कार्ययोजना की जानकारी दी। इस दौरान सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार, भू-अभिलेख निरीक्षक शिवप्रकाश शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र गोयल, गोविंद राहड, अजय, संजय गोयल सहित मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।

07 फरवरी तक चलेगा एसआईआर

जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 04 नवंबर से 04 दिसंबर, 2025 तक इनुमेरेशन पीरियड रहेगा। इसी क्रम में 04 दिसंबर, 2025 तक मतदान केन्द्रों का रेशनलाइजेशन/ रि- अरेंजमेंट किया जाएगा। 05 दिसंबर से 08 दिसंबर, 2025 तक कंट्रोल टेबल अपडेशन व ड्राफ्ट रोल तैयारी की जाएगी और 09 नवंबर, 2025 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 09 दिसंबर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक दावे व आपत्तियां किए जा सकेंगे। 09 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक नोटिस फेज चलेगा, जिसमें इनुमेरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में 03 फरवरी, 2026 तक मतदाता सूचियों की स्पष्टता की जांच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी और 07 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में वर्तमान में 16 लाख 90 हजार 798 मतदाता

चूरू जिले में वर्तमान में 16 लाख 90 हजार 798 मतदाता हैं, जिनमें से 08 लाख 78 हजार 589 पुरुष मतदाता, 08 लाख 12 हजार 197 महिला मतदाता एवं 12 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाशित प्रारूप के अनुसार जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 131329 पुरुष व 122868 महिला, 01 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 254198 मतदाता, तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 140824 पुरुष, 129585 महिला व 03 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 270412 मतदाता, सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में 165002 पुरुष, 149988 महिला व 03 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 314993 मतदाता, चूरू विधानसभा क्षेत्र में 135785 पुरुष, 128350 महिला व 02 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 264137 मतदाता, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 148438 पुरुष, 137181 महिला व 01 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 285620 मतदाता तथा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 157211 पुरुष, 144225 महिला व 02 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 301438 मतदाता पंजीकृत हैं।